विश्व बैंक सम्पोषित BKBDP के तहत पूर्वी तटबंध प्रमंडल–2, वीरपुर के अधीन पूर्वी कोशी तटबंध के कि0मी0 15.50 से कि0मी0 28.20 के बीच 14 अदद् स्परों का सुरक्षात्मक एवं पुनर्स्थापन कार्य (पैकेज–2) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक, दिनांक 25.09.2018।

बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित हुए–

(1) ई0 प्रकाश दास, मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर।
(2) ई0 राम सुरेश सिंह, अधीक्षण अभियंता, कोशी बराज अंचल, वीरपुर।
(3) ई0 इन्द्रजीत कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर।
(4) श्री विनय कुमार, डायरेक्टर, योजका इण्डिया प्रा0 लि0।
(5) श्री चन्द्रशेखर, डायरेक्टर, योजका इण्डिया प्रा0 लि0।
(4) श्री ठाकुर राय साहू, जी0एम0, योजका इण्डिया प्रा0 लि0।
(5) श्री सुधीर राव, अभियंता, योजका इण्डिया प्रा0 लि0।

दिनांक 25.09.2018 को कार्य से संबंधित अधीक्षण, कार्यपालक अभियंता एवं संवेदक प्रतिनिधि के साथ समीक्षात्मक बैठक की गयी। विश्व बैंक सम्पोषित BKBDP के तहत पूर्वी तटबंध प्रमंडल–2, वीरपुर के अधीन पूर्वी कोशी तटबंध के कि0मी0 15.50 से कि0मी0 28.20 के बीच 14 अदद् स्परों का सुरक्षात्मक एवं पुनर्स्थापन कार्य (Package-II BKBDP/WRD/EKE2/02) हेतु संवेदक योजका इण्डिया प्रा0लि0, 3–28/43 ए0बी0सी0ओ0 ट्रेड सेन्टर, द्वितीय फ्लोर, एन0एच0–66, कोटारा चौकी, मैंगलोर–6 के साथ दिनांक 28.03.2018 को एकरारनामा किया गया। समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि कार्यक्रम के अनुरूप स्थल पर श्रम एवं संसाधन की व्यवस्था नहीं की गयी है। एकरारनामा के अनुसार 66764 घन मी0 बोल्डर की आपूर्ति करना है जिसके विरूद्ध 27000 घन मी0 बोल्डर तथा 44509 अदद् गैबियन के विरूद्ध 14300 गैबियन की आपूर्ति किये जाने की सूचना संवेदक प्रतिनिधि के द्वारा दी गयी। कार्यपालक अभियंता को दो दिनों के अन्दर संवेदक द्वारा प्रतिवेदित मात्रा का सत्यापन कर प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया। Filling and Laying of Geo Bag/Geo Textile and Launching of gabian under water कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किये जाने की सूचना कार्यपालक अभियंता के द्वारा दी गयी। संवेदक प्रतिनिधि को सभी Back Log को 10 अक्टुबर तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता को Back Log निर्धारित समय में पूर्ण नहीं होने की स्थिति में एकरारनामा के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया।

संवेदक के द्वारा D.P.R में प्रावधानित मिर्जाचौकी से ससमय बोल्डर आपूर्ति में होने वाली कठिनाईयों के आलोक में कार्य को ससमय पूर्ण करने के लिए मिर्जाचौकी के अतिरिक्त पाकुड़ एवं सिल्लीगुड़ी से बोल्डर आपूर्ति की अनुमति का अनुरोध किया गया। संवेदक योजका इण्डिया प्रा0लि0, मैंगलोर से प्राप्त आवेदन के क्रम में अधीक्षण अभियंता, कोशी बराज अंचल, वीरपुर के पत्रांक 1317 दिनांक 14.09.2018 से प्राप्त अनुशंसित प्रस्ताव पर सम्यक विचरोपरांत कार्यहित में तत्काल मिर्जाचौकी के अतिरिक्त पाकुड़ एवं सिल्लीगुड़ी से बोल्डर आपूर्ति की अनुमति इस शर्त के साथ देने का निर्णय लिया गया कि–

1. संवेदक के द्वारा मिर्जाचौकी के स्थान पर सिल्लीगुड़ी एवं पाकुड़ से बोल्डर ढुलाई के लिए कोई अतिरिक्त दावा भविष्य में मान्य नहीं होगा।
2. बोल्डर का गुणवत्ता का निर्धारण विश्व बैंक S.B.D के Part2, Section-VII Technical Specifications के Clause-16 (b),(C) के अनुरूप होगा।
3. बोल्डर ढुलाई के Quarry site का नियमानुसार MN Form प्रमंडल में जमा करना होगा।
4. मिर्जाचौकी का मार्ग ठीक हो जाने पर पुनः मिर्जाचौकी से बोल्डर आपूर्ति करना होगा।

उपस्थित संवेदक प्रतिनिधि को world Bank guideline के अनुसार Safety norms का पालन करने तथा Environment impact को ध्यान में रखते हुए विशिष्टी एवं गुणवत्ता के अनुरूप ससमय कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया।

ह0/–
मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, वीरपुर।

ज्ञापांक :– ..../वीरपुर, दिनांक :– ..../2018।

प्रतिलिपि :– श्री वी0 विनय कुमार, योजका इण्डिया प्रा0लि0, 3–28/43 ए0बी0सी0ओ0 ट्रेड सेन्टर, द्वितीय फ्लोर, एन0एच0–66, कोटारा चौकी, मैंगलोर–6, कैम्प ऑफिस, भीमनगर, सुपौल को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, वीरपुर।

ज्ञापांक :– 2422/वीरपुर, दिनांक :– 26/09/2018।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमण्डल–02, वीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature] 26/9/18
मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, वीरपुर।

पत्रांक 1422 दिनांक 1/10/18 [illegible]
प्रतिलिपि – [illegible] पूर्वी तटबंध [illegible] को सूचनार्थ एवं निगरानी एवं [illegible] आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature]
1.10.18